न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 47 / 2021

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. माणक चन्द पुत्र प्रभुलाल सालेचा निवासी पचाराबास वार्ड नंबर 10 मकान नंबर 24 बालोतरा, बाड़मेर (मैसर्स उजाला एजेन्सी एफ–1 वीर दुर्गादास कृषि मण्डी बालोतरा तहसील पचपदरा, बाड़मेर का मालिक)
2. विश्राम जाट पुत्र रतनलाल जाट (मैसर्स श्री सिद्धि विनायक फूड प्रोडक्ट आर–5 इण्डस्ट्रीयल ऐरिया झोटवाडा, जयपुर–302012 का प्रोप्राइटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स उजाला एजेन्सी एफ–1 वीर दुर्गादास कृषि मण्डी बालोतरा तहसील पचपदरा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **29.10.2020** को दो **कार्टून वनस्पति (सिद्धी माखन भोग) प्रत्येक कार्टून में 36 पीस (प्रत्येक 500–500 ग्राम के)** विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **वनस्पति (सिद्धी माखन भोग)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **वनस्पति (सिद्धी माखन भोग)** के कुल 4 सील्ड गत्ता पैक (प्रत्येक 500 ग्राम के) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1206** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, [illegible] हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये [illegible] पदार्थ **वनस्पति (सिद्धी माखन भोग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा [illegible] प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य [illegible] जोधपुर द्वारा [illegible] खाद्य पदार्थ **वनस्पति (सिद्धी माखन भोग)** का नमूना अमानक **(Substandard)** पाये जा[illegible] अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **05.11.2020** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रस्तुत परिवाद **वनस्पति (सिद्धी माखन भोग)** से संबंधित है, जिसमें Baudouin test, when tested as per rules का मानक स्तर Positive, not less than 2.0 red units in a 1cm cell on Lovibound scale के मुकाबले Negative पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, के अवमानक होने के प्रतिरक्षण में अनुपस्थित रहते हुए कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना विवक्षित रूप से मौन स्वीकारोक्ति है तथा उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 1,00,000/-** का तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 2,50,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते